राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1623/2015

धन्ना लाल जाट

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी–प्रथम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.07.2015
आदेश की दिनांक : 13.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1985 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हुई थी। अपीलार्थी ने वर्ष 2004 में माध्यमिक परीक्षा पास की। अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त योग्यता रखता था एवं अपीलार्थी को वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु तैयार की गई पात्रता सूची में शामिल किया गया था, परंतु बाद में वर्ष 2015–16 की पात्रता सूची से अपीलार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को गलत रूप से पात्रता सूची से हटाया गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी का नाम कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पात्रता सूची में जोड़ा जाए और उसे पदोन्नति दिये जाने हेतु विचार किया जाए और पदोन्नति का लाभ भी प्रदान किया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 20.04.2005 पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.07.1985 एवं स्थायीकरण की दिनांक 30.07.1997 को

संशोधित कर प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.09.1994 एवं स्थायीकरण की दिनांक 17.09.1998 की गई है और बाद में पात्रता सूची में भी अपीलार्थी की वरिष्ठता संशोधित की गई है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक एवं स्थायीकरण की दिनांक में परिवर्तन किये जाने के आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 403/2005 में चुनौती दी थी, जिसमें इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 15.01.2020 पारित कर अपील स्वीकार की थी और अपीलार्थी को नियमित वेतनमान की तिथि 15.09.1990 से उसकी प्रथम नियुक्ति माने जाने के आदेश पारित किये गये थे। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 10851/2020 प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में लम्बित है, जिसमें इस अधिकरण के आदेश दिनांक 15.01.2020 को स्थगित रखा गया है। अतः हम पाते हैं कि वर्तमान में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं स्थायीकरण की तिथि के आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है। ऐसे में अपीलार्थी की वरिष्ठता के संबंध में इस प्रक्रम पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः इस अपील का निस्तारण इस आधार पर किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के निस्तारण होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलार्थी की जो भी प्रथम नियुक्ति एवं स्थायीकरण की तिथि निश्चित की जाती है, उसके आधार पर अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)